रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—19 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—19

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15—जून 21, 2019 (जयेष्ठ 25, 1941)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15—JUNE 21, 2019 (JYAISTHA 25, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	377
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	657
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1367
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1225
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	113
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	995
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	377
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	657
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1367
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1225
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	113
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	995
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2019

सं. 93-प्रेज/2019—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2019 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

महानिरीक्षक परमेश शिवमनी, तटरक्षक पदक (0244-डी)

2. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है ।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 94-प्रेज/2019—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2019 के अवसर पर, कमांडेंट (जे जी) मड्डालि वेंकट नागा अभिषेक राव (0647-एस) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

कमांडेंट (जेजी) मड्डालि वेंकट नागा अभिषेक राव (0647-एस) ने 27 जून, 2005 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की ।

2. कमांडेंट (जेजी) एम वी एन अभिषेक राव (0647-एस) एक योग्य चेतक हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जो वर्तमान में कोची चेतक फ्लाइट के फ्लाइट कमांडर के रूप में नियुक्त हैं, जिन्हें 1200 घंटे की दुर्घटना मुक्त उड़ान भरने का श्रेय प्राप्त है। अफसर ने हाल ही में संचालित केरल बाढ़ राहत संक्रिया में असाधारण पेशेवराना कौशल, नि:स्वार्थ नेतृत्व और साहस का प्रदर्शन किया है।

3. अफसर 16 से 22 अगस्त, 2018 तक आयोजित "ऑपरेशन राहत" नामक केरल बाढ़ राहत संक्रिया में सक्रिय थे। संक्रिया के दौरान, उन्होंने खराब मौसम एवं दुर्गम इलाके में कुल 18 घंटे 40 मिनट तक उड़ान भरी। वायुयान के कैप्टन के रूप में, उन्होंने ग्राऊंड टीमों की पहुंच से बाहर निर्जन क्षेत्रों में फंसे हुए 20 असहाय व्यक्तियों का जीवन बचाया। प्रत्येक बचाव मिशन खतरे से भरा हुआ था क्योंकि इन्हें खराब मौसम में बड़ी संख्या में लंबे ताड़ के पेडों, ऊंची इमारतों, उच्च वोल्ट के तारों एवं मोबाईल टॉवरों से सटे क्षेत्रों में संचालित किया गया। ऐसी परिस्थितियों में लगातार उड़ान भरने के लिए उच्च क्षमता के उड़ान कौशल के अलावा सेवा के प्रति नि:स्वार्थता, साहस और परम श्रद्धा अपेक्षित है। अफसर ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्तरजीविता की सभी उम्मीदों को खो चुके असहाय एवं हताश व्यक्तियों का बचाव किया।

4. उन्होंने विभिन्न बचाव आश्रयों तक हवाई उड़ान द्वारा सफलतापूर्वक राहत सामग्रियों की आपूर्ति की और घरों की छतों पर खाने के पैकेट गिराए, जहाँ लोग फंसे हुए थे। राहत संक्रियाओं में अथक एवं कौशलपूर्ण प्रयास के साथ अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अफसर ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जो निश्चित ही सराहनीय है।

5. कमांडेंट (जेजी) मड्डालि वेंकट नागा अभिषेक राव (0647-एस) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 95-प्रेज/2019—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2019 के अवसर पर पिंकू राणा, अधिकारी (आर), 04783-डब्ल्यू को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

पिंकू राणा, अधिकारी (आर), 04783-डब्ल्यू ने 29 जुलाई, 2002 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. पिंकू राणा केरल में आयी बाढ़ के दौरान तटरक्षक बचाव दल-17 के प्रभारी अधीनस्थ अधिकारी (एसओ) थे जिन्होंने 16 से 20 अगस्त, 2018 तक बचाव/राहत कार्य किया।

3. 16 अगस्त, 2018 को बचाव संक्रिया संचालित करने के लिए कडुंगलूर जाते समय लगभग 1500 बजे, जेमिनी नौका का आउटबोर्ड मोटर खराब हो गया। तेज प्रवाह के कारण, पतवार का प्रयोग करके नौवहन करना असंभव था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, पिंकू राणा निडरता से 15 फीट गहरे उफनते समुद्र में कूद गए और आंशिक रूप से डूबी संरचनाओं में रस्सी को बांधा। तत्पश्चात, जैमिनी को खींचकर वे उस स्थान पर ले गये, जहां 36 बूढ़ी महिलाएं एवं बच्चे फंसे हुए थे इस दौरान उन्होंने बड़ी बहादुरी से 1.5 किलोमीटर तक समुद्र में तैराकी की। इसी प्रक्रिया को पुन: दोहराते हुए, उन्होंने बड़ी ही निर्भीकता से स्वयं को पूरे समय खतरों में डालते हुए कई फेरों में फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

4. 17 अगस्त, 2018 को उनके साहसी पहल एवं दृढ़ संकल्प के परिणामस्वरूप मूथकुन्नाम में फंसे हुए 56 व्यक्तियों का बचाव किया जा सका। पुनः 18 अगस्त, 2018 को लगभग 1430 बजे, उन्हें मुझिरिस ऑडिटोरियम पारूर में अनेकों व्यक्तियों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। पिंकू राणा ने अथक परिश्रम से कई फेरों में विभिन्न स्थानों में फंसे हुए ऐसे 84 असहाय व्यक्तियों का बचाव किया। कार्य पूर्ण करने के पश्चात, बाढ़ग्रस्त सरकारी अस्पताल से एक गंभीर रूप से बीमार दिव्यांग रोगी के त्वरित निष्क्रमण संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ। अधीनस्थ अधिकारी ने वीरता के साथ बड़ी मेहनत से छाती तक जलमग्न क्षेत्र को पार किया, अपने रचनात्मक कौशल से तैरने वाला स्ट्रेचर तैयार किया और रोगी को सुरक्षा पूर्वक निष्क्रमित करते हुए जेमिनी तक और बाद में एंबुलेंस तक पहुँचाया।

5. पूरी संक्रिया के दौरान अपनी बहादुरी से भरे कार्यों को निरंतर करने के साथ-साथ असाधारण, सुसंगठन क्षमता एवं नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने 176 बहुमूल्य जीवनों की रक्षा की, जिसके लिए अधीनस्थ अधिकारी उक्त सम्मान के पात्र हैं।

6. पिंकू राणा, अधिकारी (आर), 04783-डब्ल्यू ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरुप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 96-प्रेज/2019—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2019 के अवसर पर, अंकित कुमार, प्रधान नाविक (क्यू ए), 06173-एल को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

अंकित कुमार, प्रधान नाविक (क्यू ए), (06173-एल) ने 28 जुलाई, 2008 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की ।

2. 15 अगस्त, 2018 को लगभग 1500 बजे, तटरक्षक जिला मुख्यालय सं. 4 (सीजीडीएचक्यू 4) कोची ने केरल में बाढ़ राहत कार्यों के लिए पोत को एक बचाव दल के गठन संबंधी निर्देश जारी किया। अंकित कुमार ने स्वेच्छा से 10 अन्य कार्मिकों के साथ बचाव दल के सदस्य के रूप में भाग लिया। बचाव दल की चेंगन्नूर में तैनाती की गई थी, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। भर्ती

कार्मिकों की टीम को बी. एस. एन. एल. क्षेत्र के पास 50 से अधिक फंसे हुए व्यक्तियों को उनके घरों से निकालने का कार्य सौंपा गया। उफनती पम्पा नदी के तेज बहाव के कारण बचाव कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया था। इसके अलावा इलाके की खुफिया जानकारी एवं रास्ते में व्यवधानों की जानकारी नहीं होने से और गंदे पानी में शून्य दृश्यता के कारण, फंसे हुए व्यक्तियों तक पहुँचना अत्यंत जोखिम पूर्ण था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह नहीं की और स्वेच्छा से बाढ़ग्रस्त इलाके में तैरते हुए उस पार गए।

3. भर्ती कार्मिक ने 300 मीटर तैरकर 20 मिमी रस्सी के एक छोर को बाढ़ग्रस्त घरों के पास एक बिजली के खंबे में बांध दिया। यह बचाव संक्रिया दो घंटे से अधिक समय तक चली, जहाँ भर्ती कार्मिक ने परिश्रम कर अपनी पीठ पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को लेकर प्राणरक्षी नौका पर पहुँचाया। हालांकि भारी थकान के बावजूद, उन्होंने राहत कार्यों के प्रयासों को रुकने नहीं दिया जब तक कि अंतिम व्यक्ति को बचा नहीं लिया गया। परिस्थितियों की मांग के अनुरूप उन्होंने असाधारण साहस और अडिग विश्वास का प्रदर्शन करते हुए अभियान का संचालन किया और उनके दल ने विषम मौसमी दशाओं के बावजूद, अमानचित्रित एवं अज्ञात जलमग्न अवरोधों के खतरे के बीच 50 से भी अधिक लोगों का बचाव किया।

4. भर्ती कार्मिक द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, नि:स्वार्थ प्रतिबद्धता और उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प की भावना के परिणामस्वरूप 50 से अधिक व्यक्तियों की जान बचायी गयी। व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और बहादुरी एवं कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उच्चतम स्तर की है।

5. अंकित कुमार, प्रधान नाविक (क्यू ए), 06173-एल ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरुप इन्हें राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम 13 के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 97-प्रेज/2019—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2019 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैं-

(i) उपमहानिरीक्षक होमेश कुमार शर्मा (5017-सी)

(ii) कमांडेंट भीम सिंह कोठारी (0331-सी)

(iii) कमांडेंट चर्तुवैदुला विवेकानन्द (0388-ई)

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11 (ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है ।

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 मई 2019

सं. एफ-9-49/2001-यू.3-(ए) भाग-1—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 16.02.2004 की अधिसूचना संख्या 9-49/2001-यू.3 के जरिए कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (केआईआईटी), भुवनेश्वर, ओडिशा को पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति ने कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, के कार्यकरण की समीक्षा की थी। केन्द्र सरकार ने यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सलाह पर विचार करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या 9-49/2001-यू.3 (क) भाग 1 के अनुसार कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा का सम-विश्वविद्यालय का दर्जा 16.02.2009 से 15.02.2014 तक कुछ शर्तों के साथ बढ़ा दिया था। और इसके अतिरिक्त, जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यूजीसी के परामर्श पर कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा के सम विश्वविद्यालय का दर्जा 16.02.2014 से 15.02.2019 तक दिनांक 17 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 9-49/2001-यू.3 (ए) भाग 1 के अनुसार इस शर्त के साथ बढ़ाया था कि संस्थान, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/त्रुटियों में सुधार करेगा और और अपने संगम ज्ञापन/नियमों को यूजीसी के वर्तमान नियमों के अनुसार संशोधित करेगा।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद सूचित किया था कि मंत्रालय की दिनांक 17 मई, 2017 की अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन संस्था द्वारा आंशिक रूप से किया गया था।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार यूजीसी के परामर्श से एतद्द्वारा कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा को दिनांक 16.02.2019 से 30.06.2020 तक सम विश्वविद्यालय का दर्जा निम्नलिखित शर्तों के साथ बढ़ाती है:

I. संस्था अधिसूचना की शर्तों का पालन करेगी और इस अधिसूचना के जारी होने से 3 माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

II. संस्थान, यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अपने प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करेगी।

6. कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-2/2002-यू.3 (पार्ट-1)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 20.10.2006 की अधिसूचना सं. 9-2/2002-यू.3 के माध्यम से कलासालिंगम अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी, कृष्णाकोएल, तमिलनाडु को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "समविश्वविद्यालय" घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी द्वारा उसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 28 से 29 अप्रैल, 2018 के दौरान कलासालिंगम अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी, कृष्णाकोएल, तमिलनाडु के कार्यपद्धति की समीक्षा की गई थी। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर यूजीसी के परामर्श को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं.9-2/2002-यू3 (भाग.1) के माध्याम से कलासालिंगम अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी, कृष्णाकोएल, तमिलनाडु के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ 20.10.2011 से 30.06.2019 तक बढ़ा दिया था :

I. समवत विश्व विद्यालय इसके पश्चात यूजीसी के अनुमोदन के बिना कृषि, बागवानी और शिक्षा पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देगा।

II. समवत विश्वविद्यालय एक पृथक और विशेष सोसायटी/न्यास/कंपनी का सृजन करेगा और अपने पंजीकृत विलेख में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उक्त सोसायटी/न्यास/कंपनी का गठन विशेषरूप से कलासालिंगम अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी, कृष्णाकोएल, तमिलनाडु के लिए किया गया है।

III. समवत विश्वविद्यालय प्रायोजक न्यास से अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अलग करेगा।

IV. सभी परिसंपत्तियां समवत विश्वविद्यालय के नाम पर होंगी।

V. समवत विश्वविद्यालय वर्तमान यूजीसी विनियमों अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमावली में संशोधन करेगा।

VI. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए परामर्शों/विसंगतियों के संदर्भ में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार यूजीसी के परामर्श और संस्था की अनुपालन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा कलासालिंगम अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी, कृष्णाकोएल, तमिलनाडु के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ 01.07.2019 से 15.11.2020 तक बढ़ाती है:—

i. समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ)/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की रैंकिंग/ग्रेडिंग में सुधार करेगी।

ii. संस्था यूजीसी (समवत विश्विवद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अपने प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करेगी।

5. कलासालिंगम अनुसंधान एवं शिक्षा अकादमी, कृष्णाकोएल, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (ओं) साथ ही साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों की सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-9/2003-यू.3(ए) खंड.2—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था. को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह से अपनी दिनांक 28.05.2008 की अधिसूचना सं. 9-9/2003-यू.3 के जरिए ''जगतगुरू श्री शिवरथ्रीश्वरा विश्वविद्यालय (जेएसएसयू), मैसूर, कर्नाटक'', जिसमें (i) जेएसएस मेडिकल कॉलेज, मैसूर (ii) जेएसएस डेंटल कॉलेज, मैसूर, (iii) जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसूर और जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी (तमिलनाडु) शामिल हैं, को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "समविश्वविद्यालय" घोषित किया था। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी को जेएसएसयू के ऑफ कैंपस के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

3. और यह भी जबकि, सिविल अपील सं.17869-17870/2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.11.2017 के आदेश के अनुसरण में केंद्र सरकार ने दिनांक 11 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं.9-9/2003-यू.3(ए) के मार्फत इस शर्त के साथ कि "जेएसएस उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान अकादमी" अपने नाम में विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग नहीं करेगा लेकिन इसके साथ कोष्ठक में "समविश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख कर सकता है, जगतगुरू श्री शिवरथ्रीश्वरा विश्वविद्यालय (जेएसएसयू), मैसूर, कर्नाटक" का नाम बदलकर "जेएसएस उच्चवतर शिक्षा तथा अनुसंधान अकादमी" कर दिया था।

4. और जब्कि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 5-7 जुलाई, 2017 के दौरान समविश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा की थी। अब इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह के साथ-साथ विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर विचार करते हुए "जेएसएस उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी", मैसूर, कर्नाटक को निम्नलिखित शर्तों के मध्य 28.05.2013 से 27.05.2019 तक सम-विश्वविद्यालय दर्जे का विस्तार किया था:

i. समविश्वविद्यालय संस्था, अपनी सोसाइटी, भूस्वामित्व, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नया नाम अर्थात "जेएसएस उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान अकादमी" मैसूर, कर्नाटक रखेगा।

ii. सम-विश्वविद्यालय संस्था सभी पत्र शीर्षों, वेबसाइट और अपने सभी आगामी पत्राचारों में नए नाम को समाविष्ट करेगा।

iii. सम-विश्वविद्यालय संस्था नाम परिवर्तन के बाद यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार सभी यथाआवश्यक परिवर्तन करेगी।

6. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार संस्था की अनुपालन रिपोर्ट पर यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए एतदद्वारा जेएसएस उच्चंतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, मैसूर, कर्नाटक के

समविश्वविद्यालय दर्जे का 28.05.2019 से 15.08.2023 तक इस शर्त के साथ कि संस्था यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में उल्लिखित पैरामीटरों के आधार पर अपने कार्य-निष्पादन और अकादमिक परिणामों में सुधार करेगी, विस्तार करती है।

7. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का जेएसएस उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, मैसूर, कर्नाटक द्वारा अनुपालन जारी रखा जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-19/2005-यू.3(पार्ट.1)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 21.08.2007 की अधिसूचना संख्या 9-19/2005-यू.3 के जरिए यूजीसी की सलाह पर अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु को इसके संबंधन विश्वविद्यालय से संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नए सिरे से श्रेणी के तहत समविशि्वद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की मदद से 31 जनवरी से 2 फरवरी, 2018 के दौरान अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। समीक्षा रिपोर्ट और उस पर यूजीसी के परामर्श पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 9-19/2005-यू.3(भाग.1) द्वारा इस शर्त पर कि संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा उल्लिखित सुझावों/कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) में अपनी रैंकिंग/ग्रेडिंग के माध्यम से अपने प्रदर्शन में सुधार करेगा, दिनांक 21.08.2012 से 30.06.2019 तक अकादमी ऑफ मैरीटइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु की समविश्वविद्यालय के दर्जे का विस्तार करती है।

4. अत: अब केंद्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा यूजीसी की सलाह पर अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 01.07.2019 से 15.11.2020 तक निम्नरलिखित शर्तों पर आगे बढ़ाती है:

i. समविश्वविद्यालय अपनी एनआईआरएफ/एनएएसी में अपनी रैंकिंग/ग्रेडिंग के जरिए अपने कार्य निष्पादन में सुधार करेगा।

ii. संस्थान यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानदंडों पर अपने प्रदर्शन और शैक्षिक परिणामों में सुधार करेगा।

5. अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, कनाथुर, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य् सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का पालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-48/2006-यू.3(ए)(पार्ट.1)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 04.08.2008 की अधिसूचना संख्या 9-48/2006-यू.3(ए) के जरिए यूजीसी की सलाह पर चेत्तीनाद अकादमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (सीएआरई), पदुर केलाम्बक्कम, जिला कांचिपुरम, तमिलनाडु जिसमें (i) चेट्टीनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च संस्थान, पदुर, केलाम्बक्कम और (ii) चेट्टीनाड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पदुर केलाम्बाक्कंम शामिल है, को इसके संबंधन विश्वविद्यालय से संस्था की सम्बद्धता समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नए सिरे से श्रेणी के तहत समविश्वद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की मदद से 9-11 जनवरी, 2018 की चेत्तीनाद एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, पुदुर, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। उसकी विशेषज्ञ समिति का समीक्षा रिपोर्ट पर यूजीसी के परामर्श पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने दिनांक 8 जून, 2018 को अधिसूचना संख्या 9-48/2006-यू.3(ए)(भाग.1) द्वारा इस शर्त पर कि संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समीक्षा समिति द्वारा उल्लिखित सुझावों/कमियों के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, दिनांक 04.08.2013 से 30.06.2019 तक चेट्टीनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, पदुर, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे की अवधि को बढ़ाया था।

4. अत: अब केंद्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए चेट्टीनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, पदुर, तमिलनाडु के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 01.07.2019 से 15.11.2020 तक निम्न्लिखित शर्तों पर आगे बढ़ाती है:

i. सम-विश्वविद्यालय संस्था अपनी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ)/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) में अपनी रैंकिंग/ग्रेडिंग के जरिए अपने कार्य निष्पादन में सुधार करेगा।

ii. संस्था यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानदंडों पर अपने प्रदर्शन और शैक्षिक परिणामों में सुधार करेगा।

5. चेट्टीनाड अकादमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, पदुर तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का पालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ.9-34/2007-यू.3 (ए)-भाग 1—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र् सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 22.07.2008 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3 (ए) के जरिए ''क्राईस्ट कॉलेज (स्वायत्त), बंगलौर, कर्नाटक, को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "क्राईस्ट विश्वविद्यालय" के नाम तथा शैली में समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और यह भी जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 में दिनांक 03.11.2017 के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 11.01.2018 की अधिसूचना सं. 9-34/2007-यू.3(ए) के जरिए "क्राईस्ट विश्वविद्यालय" के नाम से "विश्वविद्यालय" शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर "क्राईस्ट" किया था बशर्ते कि "क्राईस्ट" अपने नाम में ''विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर "सम-विश्वविद्यालय" शब्दो का उल्लेख कर सकता है।

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की मदद से 14-16 दिसंबर, 2017 के दौरान क्राईस्ट, बंगलौर, कर्नाटक के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। अपनी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 08 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 9-34/2007-यू3(ए) भाग-1 के जरिए 'क्राईस्ट', बंगलौर, कर्नाटक के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 22.07.2013 से 30.06.2019 तक बढ़ाया था:

i. समविश्वविद्यालय संस्था अपनी सोसायटी, भू-स्वामित्व, लेखों, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नए नाम अर्थात ''क्राईस्ट,'' के नाम में परिवर्तित करेगी।

ii. सम-विश्वविद्यालय संस्था, सभी लेटर हैड, वेबसाइट और अपने भावी पत्राचार में नए नाम को समाविष्ट करेगी।

iii. सम-विश्वविद्यालय संस्था, अपने संगम ज्ञापन/ नियमों में नए नाम को समाविष्ट करेगी।

iv. संस्था, यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

v. सम-विश्वविद्यालय संस्था, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) में अपनी रैंकिंग के माध्यम से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करेगी।

5. अतः, अब, केन्द्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर, यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए 'क्राईस्ट, बंगलौर, कर्नाटक के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 30.06.2019 से 01.12.2021 तक बढ़ाती हैः

i. सम-विश्वविद्यालय संस्थान एनआईआरएफ/एनएएसी में अपने रैंकिंग/ग्रेडिंग में सुधार करेगा।

ii. संस्थान यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानको पर अपने कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणामों में सुधार करेगा।

6. ''क्राईस्ट, बंगलौर, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य् शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य् सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-37/2007-यू-3(ए)-खंड 2—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 29.02.2008 की अधिसूचना सं. 9-37/2007-यू.3 (ए) के जरिए 'श्री बी एम पाटील मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, बीजापुर, कर्नाटक, को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "बीएलडीई विश्वविद्यालय" के नाम तथा शैली में समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और जबकि, माननीय उच्चततम न्यायालय की सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 में दिनांक 03.11.2017 के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 11.01.2018 की अधिसूचना सं. 9-37/2007-यू.3(ए) के जरिए "बीएलडीई विश्वविद्यालय" के नाम से "विश्वविद्यालय" शब्द का विलोपन करके इसका नाम बदलकर "बीएलडीई" किया था बशर्ते कि "बीएलडीई" अपने नाम में ''विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर "समविश्वविद्यालय" शब्द का उल्लेख कर सकता है।

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की मदद से 22-24 सितंबर, 2017 के दौरान बीएलडीई, बीजापुर, कर्नाटक के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट और यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 08 जून, 2018 को अधिसूचना संख्या 9-37/2007यू3(ए) खंड -2 के जरिए 'बीएलडीई, बीजापुर', कर्नाटक के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 29.02.2013 से 30.06.2019 तक बढ़ाया था:

i. समविश्वविद्यालय संस्था अपनी सोसायटी, स्वामित्व, लेखों, कायिक निधि आदि का नाम बदलकर नए नाम अर्थात "बीएलडीई" के नाम में परिवर्तित करेगी।

ii. समविश्वविद्यालय संस्था, सभी लेटर हैड, वेबसाइट और अपने भावी पत्राचार में नए नाम को समाविष्ट करेगी।

iii. समविश्वविद्यालय संस्था, अपने संगम ज्ञापन/नियमों में नए नाम को समाविष्ट करेगी।

iv. संस्था, यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

v. समविश्वविद्यालय संस्था, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ)/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) में अपनी रैंकिंग/ग्रेडिंग के माध्यम से अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करेगी।

5. अतः अब, केन्द्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट पर यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए 'बीएलडीई', बीजापुर, कर्नाटक के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 01.07.2019 से 15.11.2020 तक बढ़ाती हैः

i. समविश्वविद्यालय संस्थान एनआईआरएफ/एनएएसी में अपने रैंकिंग/ग्रेडिंग में सुधार करेगा।

ii. संस्थान यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानको पर अपने कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणामों में सुधार करेगा।

6. "बीएलडीई", बीजापुर, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्यी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-6/2008-यू.3(ए)भाग-1—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने अपनी दिनांक 02.02.2009 की अधिसूचना संख्या 9-6/2008-यू.3(ए) द्वारा प्रदत्तं शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी के परामर्श पर गुरूकूल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में स्थित इंटरनेशनल कालेज ऑफ गर्ल्सी को उक्ता अधिनियम के उद्देश्य से अनंतिम रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए "आईआईएस यूनिवर्सिटी" के नाम और शैली में "समविश्वविद्यालय संस्थान" के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, आईआईएस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान के कार्य की यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त,, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 9-6/2008-यू3(ए) खंड-1 द्वारा आईआईएस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान की समविश्वविद्यालय की स्थिति को उसके नाम से "यूनिवर्सिटी" शब्द को हटाकर "आईआईएस" के नाम में 02.02.2014 से 01.02.2019 तक बढ़ाया/निर्मित किया था। यह घोषणा निम्नलिखित अन्य' शर्तो के अध्यकधीन है:

i. सम-विश्वविद्यालय संस्था अपनी सोसायटी का भूमि स्वामित्वि, लेखा, संचित निधि आदि नये नाम अर्थात आईआईएस (सम-विश्वविद्यालय), जयपुर, राजस्थान में बदलेगा।

ii. सम-विश्वविद्यालय संस्थास यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित सभी कमियों को दूर करेगा और दिए गए सुझावों का पालन करेगा और यूजीसी को 6 माह के भीतर दस्तावेजी साक्ष्यों सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

iii. सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को यूजीसी के परामर्श पर और उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा।

4. और यह भी जबकि, यूजीसी ने संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट की जांच के बाद सूचित किया है कि संस्थान ने इस मंत्रालय की दिनांक 6 जुलाई, 2017 की अधिसूचना का आंशिक अनुपालन किया है।

5. अत: अब यूजीसी के परामर्श पर विचार करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएस, जयपुर, राजस्थान की समविश्वविद्यालय को 02.02.2019 से 30.06.2020 तक इस शर्त पर कि वह अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन करेगा और इस अधिसूचना के जारी होने से तीन माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, बढ़ाती है। यह विस्तार/नियमितीकरण आगे इस शर्त पर है कि संस्थारन यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानकों के आधार पर अपना प्रदर्शन और शैक्षिक प्राप्ति में सुधार करेगा।

6. आईआईएस जयपुर, राजस्थान द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का पालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-46/2008-यू3(ए) पार्ट.1—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह से अपनी दिनांक 10.07.2009 की अधिसूचना सं. 9-46/2008-यू3 (ए) के जरिए "इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेस (आईएलबीएस), नई दिल्ली को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हेतु पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "समविश्वविद्यालय" घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 15-16 अक्तूबर, 2018 के दौरान आईएलबीएस, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को 26.02.2019 को आयोजित अपनी 539वीं बैठक में आयोग के समक्ष पेश किया गया और इस मंत्रालय को निम्नलिखित संकल्प अग्रेषित किया गया:—

"आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेस (आईएलबीएस), नई दिल्ली को समविश्वविद्यालय दर्जा जारी रखने के लिए एमएचआरडी को सिफारिश करने का निर्णय लिया। विजिटिंग विशेषज्ञ समिति के सुझावों, यदि कोई हों, का समविश्वविद्यालय द्वारा 6 महीने की अवधि के भीतर समाधान किया जाएगा और अनुपालन रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य सहित यूजीसी को प्रस्तुत की जाएगी"

4. अत: अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर एतदद्वारा 'इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेस (आईएलबीएस), नई दिल्ली के समविश्वविद्यालय दर्जे को 10.07.2014 से आगे, इस शर्त के साथ कि संस्थान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, विस्तार/नियमन करती है।

5. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य् सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का 'इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिअरी साइंसेस (आईएलबीएस), नई दिल्ली अनुपालन जारी रखा जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

दिनांक 6 मई 2019

सं. एफ. 9-19/2000-यू.3(ए) पार्ट.1—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 13.04.2006 की अधिसूचना सं. 9-19/2000-यू.3 के जरिए केएलई उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बेलगाम कर्नाटक जिसमें (i) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगाम और (ii) केएलई बीके इंस्टीट्युट ऑफ डेंटल साइंस शामिल हैं को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए समविश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रि सरकार द्वारा दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना सं.9-19/2000-यू.3 के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों को इस शर्त के अध्यधीन केएलई उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बेलगाम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया था कि केएलई उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बेलगाम को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने से संबंधी सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तनीय बनी रहेगी:

I. केएलई इंस्टीट्युट ऑफ नर्सिंग साइंस, बेलगाम

II. केएलई इंस्टीट्युट ऑफ फिजियोथैरेपी, बेलगाम

III. केएलई श्री बी.एम.के. आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम

IV. केएलई कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, बेलगाम

V. केएलई कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, हुबली

VI. केएलई कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, बैंगलोर

4. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी के परामर्श पर दिनांक 17.01.2017 की अधिसूचना सं.9-19/2000-यू.3 (ए) पार्ट-1 के माध्यम से केएलई उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बेलागम के समविश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 13.04.2011 से 12.04.2016 तक बढ़ाया था। इसके अतिरिक्त, केन्द्र् सरकार ने यूजीसी के परामर्श पर, दिनांक 02.07.2018 की अधिसूचना सं.9-19/2000-यू3(ए) पार्ट 1 के माध्यम से केएलई उच्चतर शिक्षा

और अनुसंधान अकादमी, बेलगाम के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ 13.04.2016 से 12.04.2019 तक बढ़ा दिया था।

I. संस्था समविश्वविद्यालय के प्रबंधन हेतु एक पृथक एवं विशेष गैर लाभकारी सोसायटी/न्यास/कंपनी का निर्माण करेगी

II. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए परामर्शों के संदर्भ में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. अब, इसलिए, केन्द्र सरकार यूजीसी के परामर्श और संस्था की अनुपालन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा केएलई उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बेलगाम कर्नाटक के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ 13.04.2019 से 18.01.2021 तक बढ़ाती है:

I. समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ)/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की रैंकिंग/ग्रेडिंग में सुधार करेगी।

II. संस्था यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अपने प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करेगी।

6. केएलई उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बेलगाम कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (ओं) साथ ही साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों की सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ-9-21/2000-यू-3 (भाग-1)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने यूजीसी के परामर्श पर अपने दिनांक 20.06.2002 की अधिसूचना संख्या 9-21/ 2000-यू-3 के जरिए 'पद्मश्री डॉक्टर डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरुल, नवी मुंबई जिसमें (क) पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज और (ख) पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शामिल हैं, को 5 वर्षों के पश्चात समीक्षा किए जाने की शर्त पर समवत विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सहायता से 11-13 अगस्त, 2017 के दौरान पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरुल, नवी मुंबई के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। आयोग द्वारा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन दिनांक 04.09.2017 को इसकी 525 वीं बैठक में किया गया था। यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉक्टर डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरुल, नवी मुंबई का समवत विश्वविद्यालय का दर्जा 20.06.2007 से 30.06.2019 तक इस शर्त के साथ बढ़ाया था कि प्रायोजक सोसायटी कानूनी रूप से पूरी चल और अचल परिसंपत्तियों को सम विश्वविद्यालय के नाम पर स्थानांतरित करेगी। यह घोषणा इस शर्त के भी अधीन थी कि सम विश्वविद्यालय संस्था नेशनल इंस्टीट्यूटनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में रैंक के माध्यम से अपने प्रदर्शन में सुधार करेगा और यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने सूचित किया कि समवत विश्वविद्यालय संस्था ने उपरोक्त उल्लेखित शर्तों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

5. अब, इसलिए, यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, केन्द्र् सरकार यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरुल, नवी मुंबई के समवत विश्वविद्यालय का दर्जा 01.07.2019 से 30.06.2020 तक निम्नलिखित शर्तों के साथ बढ़ाती है:

I. संस्था अधिसूचना की शर्तों का पालन करेगी और इस अधिसूचना के जारी होने से 3 माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

II. संस्थान, यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानकों के अनुसार अपने प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करेगी।

6. डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, नेरुल, नवी मुंबई द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य. शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ-9-64/2005-यू.3-(खंड-2)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 15.12.2006 की अधिसूचना संख्या 9-64/ 2005 यू.3 के जरिए चेन्नई गणितीय संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु को इसके संवद्ध विश्वविद्यालय से संवद्धता समाप्त होने की तारीख से 5 वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए नई श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी की विशेषज्ञ समिति की सहायता से चेन्नई गणितीय संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु के कार्यकरण की समीक्षा 26-27 अक्टूबर, 2017 को की गई थी। केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा के तहत 3 दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना सं. 9-64/2005-यू.3 (खंड-2) के द्वारा चेन्नई गणितीय संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु को सम विश्वविद्यालय का दर्जा 15.12.2011 से 30.06.2019 तक इस शर्त के साथ बरकरार रखा है कि संस्था यूजीसी की विशेषज्ञ समिति द्वारा बताए गए सुझावों/कमियों पर कार्य करके अनुपालन रिपोर्ट भेजेगी तथा समय-समय पर संशोधित यूजीसी सम-विश्वविद्यालय संस्था विनियम 2016 के अनुसार अपने संगमज्ञापन/नियमों में संशोधन करेगी।

4. और यह भी जबकि, यूजीसी ने संस्था की अनुपालन रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद सूचित किया है कि संस्था ने इस मंत्रालय के दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना की शर्तों का पालन आंशिक रूप से किया है।

5. अत: अब, केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चेन्नई गणितीय संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु के सम- विश्वविद्यालय का दर्जा 01.07.2019 से 30.06.2020 तक इस शर्त पर बढाती है कि यह संस्थान इस अधिसूचना के जारी होने के 3 माह के भीतर उपर्युक्तर शर्तों का अनुपालन करेगा। यह विस्तार/विनियमितीकरण आगे इस शर्त के अधीन है कि संस्थान, यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय) विनियम, 2019 के उल्लिखित मानकों के अनुसार अपने प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करेगा।

6. चेन्नई गणितीय संस्थान चेन्नेई, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी शर्तों और समय-समय पर जारी यूजीसी और सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का पालन किया जाता रहेगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-42/2006-यू.3 (ए) खंड 2—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह से, किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम विश्व विद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना सं.9-42/2006-यू3(ए) द्वारा 'कोनेरू लक्ष्मैया शिक्षा

प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को कतिपय शर्तों के अध्यधीन, अनंतिम रूप से पांच वर्षों की अवधि के लिए, समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और जबकि यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति की सहायता से कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की कार्य पद्धति की समीक्षा की थी। केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 11 जुलाई 2017 की अधिसूचना संख्या.9-42/2006-यू3(ए)खंड-2 के जरिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 20.2.2014 से 19.2.2019 तक के लिए कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का समविश्वविद्यालय दर्जा बढ़ाया थाः

i. कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान 'विश्वविद्यालय' शब्द को, जहां कहीं भी प्रयोग किया जा रहा है, को 'सम-विश्वविद्यालय' शब्द से प्रतिस्थापित करेगा और यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार, जो भी अपेक्षित हो, अन्य आवश्यक संशोधन करेगा।

ii. कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए सुझावों पर अमल करेगा और बताई गई सभी विसंगतियों को दूर करेगा और 6 माह की अवधि के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट को यूजीसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

iii. कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, विद्यार्थियों को कोनेरू लक्षमैया इंजीनियरिंग कॉलेज के अनुमोदित अकादमिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों या किसी अन्य पाठ्यक्रम, जो यूजीसी और संबद्ध सांविधिक परिषद (दों) द्वारा अनुमोदित हों, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, प्रवेश देगा। यह यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुमोदन के बिना बी.फार्मा, बीएफए और बीबीए-एलएलबी पाठ्यक्रम और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का दाखिला नहीं करेगा।

iv. यूजीसी की सलाह पर और उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के बाद ही सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को आगे बढ़ाया जाएगा।

4. और यह भी, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 19.01.2018 की अधिसूचना सं.10-3/2017-यू3(ए) द्वारा कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को अजीजनगर, मोइनाबाद रोड, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में एक ऑफ-कैंपस सेंटर खोलने हेतु अनुमति दी थी।

5. अतः अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर और संस्थान की अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करते हुए केन्द्र सरकार ने कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के सम विश्वविद्यालय दर्जे को 20.02.2019 से 19.02.2024 तक इस शर्त के अध्यधीन बढ़ाती है कि संस्थान यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानकों पर अपने कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणामों में सुधार करेगी।

6. कोनेरू लक्षमैया शिक्षा प्रतिष्ठान, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 9-57/2007-यू.3(ए) पार्ट. I—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 19.12.2008 की अधिसूचना सं. 9-57/2007-यू.3(ए) के जरिए श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज, बैंगलौर, कर्नाटक को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "जैन विश्वविद्यालय के नाम और शैली में समविश्वविद्यालय घोषित किया था। और इसके अतिरिक्त जबकि, इस मंत्रालय की दिनांक 24.07.2009 की अधिसूचना सं. 9-57/2007-यू3(ए) के माध्यम से निम्नलिखित संस्थाओं को जैन विश्वविद्यालय, कर्नाटक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया था।

I. श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टाडीज), 34 फर्स्ट क्रॉस केसी रोड़, बैंगलोर

II. श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (प्रबंधन अध्ययन केन्द्र), 1/1 एटरिया टॉवर, पैलेस रोड़, बैंगलोर

III. श्री भगवान महावीर जैन कॉलेज (स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र), 18/3, 9 मेन, ब्लॉक तीसरा, जयानगर, बैंगलोर

IV. श्री भगवान महावीर जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, जक्कासंदरा पोस्ट, कनकपुरा तालुर, बैंगलोर ग्रामीण

3. और जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 में दिनांक 03.11.2017 के आदेश का अनुपालन करते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी दिनांक 11.01.2018 की अधिसूचना सं. 9-57/2007-यू3(ए) के माध्यम से इस शर्त के साथ कि संस्था अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रत्यय के रूप में प्रयोग नही करेगी लेकिन कोष्ठकों के भीतर 'समविश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग कर सकती है, संस्था के नाम में से 'विश्वविद्यालय' शब्द को विलोपित करते हुए 'जैन विश्वविद्यालय' का नाम बदलकर 'जैन' किया था।

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा उसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 21 से 23 दिसम्बर, 2017 के दौरान जैन, बंगलोर कर्नाटक के कार्यपद्धति की समीक्षा की गई थी। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट और यूजीसी के परामर्श को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना सं.9-57/2007-यू3(ए) भाग.1 के माध्यम से जैन, बंगलोर, कर्नाटक के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को निम्नलिखित शर्तों के साथ 19.12.2013 से 30.06.2019 तक बढ़ा दिया था :

I. समवत विश्वविद्यालय समय समय पर यथा संशोधित यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमावली में संशोधन करेगा।

II. समवत विश्वविद्यालय अपने नाम के साथ 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगा लेकिन इसके आगे कोष्ठकों के भीतर 'सम विश्वविद्यालय' प्रत्यय का उल्लेख कर सकता है।

III. समवत विश्वविद्यालय अपनी सोसायटी, भूमि, स्वामित्व, लेखाओं, कायिक निधि इत्यादि के नाम में परिवर्तन कर नये नाम अर्थात जैन के अनुसार परिवर्तित करेगा।

IV. समवत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) में सहभागिता करेगा और अपनी रैंकिंग को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

V. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए परामर्शों के संदर्भ में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. और इसके अतिरिक्त जबकि, यूजीसी ने सूचित किया है समवत विश्वविद्यालय संस्था ने उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के संदर्भ में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

6. अत: अब, केन्द्र सरकार यूजीसी के परामर्श को ध्यान में रखते हुए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा जैन, बंगलोर, कर्नाटक के समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को निम्न लिखित शर्तों के साथ 01.07.2019 से 30.06.2020 तक बढ़ाती है।

I. संस्था अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन करेगी और इस अधिसूचना के जारी होने के तीन माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

II. समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ)/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की रैंकिंग/ग्रेडिंग में सुधार करेगी।

III. संस्था यूजीसी (समवत विश्व विद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अपने प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करेगी।

7. 'जैन', बंगलोर, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचना (ओं) के साथ ही साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों की सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

दिनांक 9 मई 2019

सं. एफ.9-9/98-यू.3 (भाग 1)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह से, किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 2.08.2002 की अधिसूचना सं.9-9/98-यू3 के जरिए, एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, जिसमें एसआरएम डेंटल कॉलेज, चेन्नई शामिल है, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समविश्वविद्यालय संस्था घोषित किया था।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 3 वर्षों के बाद समीक्षा के अध्यधीन अपने दायरे के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को लाने के लिए एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई को अनुमति दी थी:

i. दिनांक 13 मार्च 2003 की अधिसूचना संख्या9-8/98- यू.3 के जरिए एसआरएम इंजीनियरिंग कॉलेज, कट्टंकुलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु;

ii. दिनांक 30 सितंबर 2004 की अधिसूचना संख्या9-27/2004-यू.3 के जरिए एसआरएम चिकित्सा कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, कट्टंकुलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु;

iii. दिनांक 28 जनवरी 2005 की अधिसूचना संख्या 9-47/2004-यू.3 के जरिए एसआरएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी चेन्नई, तमिलनाडु ;

iv. दिनांक 28 जनवरी 2005 की अधिसूचना संख्या9-47/2004-यू.3 के जरिए एसआरएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चेन्नई, तमिलनाडु;

v. दिनांक 28 जनवरी 2005 की अधिसूचना संख्या9-47/2004-यू.3 के जरिए एसआरएम कॉलेज ऑफ फिजियोथैरेपी, चेन्नई, तमिलनाडु;

vi. दिनांक 28 जनवरी 2005 की अधिसूचना संख्या9-47/2004-यू.3 के जरिए एसआरएम कॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, चेन्नई, तमिलनाडु;

vii. दिनांक 28 जनवरी 2005 की अधिसूचना संख्या 9-47/2004-यू.3 के जरिए एसआरएम प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोदीनगर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश

4. और जबकि, यूजीसी द्वारा एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ इसकी सभी घटक इकाइयों के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 16 अक्टूबर 2008 को अधिसूचना संख्या 9-9/1998यू3 के जरिए 5 वर्षों की अन्य अवधि अर्थात 15.10.2013 तक एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई को सम विश्वविद्यालय के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी थी।

5. और जबकि, वर्ष 2017 में विशेषज्ञ समिति की सहायता से यूजीसी द्वारा एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और इसकी सभी घटक इकाइयों/संस्थाओं के कार्यकरण की पुन: समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा विचार किया गया और अनुमोदन दिया गया।

6. अतः अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर केन्द्र सरकार एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के सम विश्वविद्यालय दर्जे को 16.10.2013 से 15.08.2023 तक इस शर्त के अध्यधीन बढ़ाती है कि संस्थान यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में उल्लिखित मानकों पर अपने कार्य निष्पादन और अकादमिक परिणामों में सुधार करेगी।

7. एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

दिनांक 10 मई 2019

सं. फा.9-3/2000-यू.3(खंड.2)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के भाग 3 के तहत यूजीसी के परामर्श पर, उच्चतर अधिगम संस्था को समवत विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है|

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 के भाग 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 23.06.2004 की अधिसूचना सं.9-3/2000-यू.3 के माध्यम से, यूजीसी के परमर्श पर, कारुण्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु को तीन वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए एक समवत संस्था के रूप में घोषित किया था|

3. और आगे जबकि, यूजीसी द्वारा अपने विशेषज्ञ समिति की सहायता से दिनांक 9-11 नवंबर, 2017 के दौरान कारुण्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु के कार्यों की समीक्षा की गई केंद्र सरकार ने यूजीसी के विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के सुझाव पर विचार करते हुए दिनांक 8 जून, 2018 को अपनी अधिसूचना सं. 9-3/2000-यू.3 (खंड.2) के माध्यम से कारुण्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु के समवत विश्वविद्यालय के दर्ज़े को दिनांक 23.06.2007 से 30.06.2019 तक निम्नलिखित शर्तों सहित आगे बढ़ाती है:

I. समवत विश्वविद्यालय के नाम पर एक अलग और विशेष सोसाइटी/न्यास/कंपनी का गठन किया जाएगा|

II. समवत विश्वविद्यालय के नाम पर चल और अचल संपत्ति वैध रूप से पंजीकृत की जाएगी|

III. समवत विश्वविद्यालय एनएएसी ग्रेडिंग के माध्यम से अपने प्रदर्शन में सुधार करेगी|

IV. समवत विश्वविद्यालय अपने एमओए/नियमों को समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय) अधिनियम, 2016, के अनुरूप बनाएगा|

V. समवत विश्वविद्यालय यूजीसी के मानकों/विनियमों के विरुद्ध कोई भी पाठ्यक्रम/विभाग, ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू नहीं करेगा|

VI. संस्था निर्धारित समयावधि में यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी|

4. अतः, अब, संस्था की अनुपालन रिपोर्ट और यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 के खंड 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतदद्वारा कारुण्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु के समवत विश्वविद्यालय दर्ज़े को दिनांक 01.07.2019 से 24.05.2021 तक निम्नलिखित शर्तों के साथ आगे बढ़ाती है:

i. समविश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा/राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) में अपनी रैंकिंग/ग्रेडिंग का सुधार करेगी|

ii. संस्था यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में उल्लिखित मापदंडों के आधार पर अपने निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों में सुधार करेगी|

5. यूजीसी के नियमों/विनियमों और अन्य संविधिक परिषदों के साथ-साथ इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों को जिन्हें समय-समय पर जारी किया जाता है, कारुन्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा|

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

सं. फा.9-21/2005-यू3(ए) भाग.1—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के भाग 3 के तहत यूजीसी के परामर्श पर, उच्चतर अधिगम संस्था को समवत विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 के भाग 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.08.2006 की अधिसूचना सं.9-21/2005-यू3 (ए) के माध्यम से, यूजीसी के परामर्श पर, एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुंबई को दो घटक मेडिकल कॉलेजों अर्थात (i) महात्मा गाँधी मिशन मेडिकल कॉलेज, नवी मुंबई (महाराष्ट्र) और (ii) महात्मा गाँधी मिशन मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) को पांच वर्ष की अनंतिम अवधि हेतु एक समवत संस्था के रूप में घोषित किया था|

3. और जबकि, यूजीसी द्वारा अपने विशेषज्ञ समिति की सहायता से दिनांक 27-29 सितंबर, 2017 के दौरान एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के कार्यों की समीक्षा की गई थी| केंद्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 के खंड 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, अपनी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर यूजीसी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 8 जून, 2018 को अपनी अधिसूचना सं. 9-21/2005-यू3 (ए) भाग.1 के माध्यम से एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के समवत विश्वविद्यालय के दर्ज़े को दिनांक 30.08.2011 से 30.06.2019 तक निम्नलिखित शर्तों के साथ आगे बढ़ाती है:

I. प्रायोजक न्यास संपूर्ण चल और अचल संपत्तियां समवत विश्वविद्यालय के नाम पर कानूनी रूप से हस्तांतरित करेगा|

II. समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढ़ांचा (एनआईआरएफ) में अपनी रैंकिंग के माध्यम से अपने निष्पादन में सुधार करेगी|

III. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सुझावों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी|

4. और इसके अतिरिक्त, जबकि, यूजीसी ने संस्था की अनुपालन रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात सूचित किया है कि संस्था ने इस मंत्रालय की दिनांक 8 जून, 2018 की अधिसूचना की शर्तों का अंशतः अनुपालन किया है|

5. अतः अब, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 के खंड 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए यूजीसी के परामर्श पर एतदद्वारा एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के समवत विश्वविद्यालय के दर्ज़े को दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 तक निम्नलिखित शर्तों के साथ आगे बढ़ाती है:

i. संस्था अधिसूचना (ओं) की शर्तों का अनुपालन करेगी और इस अधिसूचना के जारी करने से तीन माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी|

ii. समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढ़ांचा (एनआईआरएफ)/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) में अपनी रैंकिंग का सुधार करेगी|

iii. संस्था अपनी निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों में यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2019 में उल्लिखित मापदंडों के आधार पर सुधार करेगी|

6. यूजीसी के नियमों/विनियमों और अन्य संविधिक परिषदों के साथ-साथ इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों को जिन्हें समय-समय पर जारी किया जाता है, एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा|

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

दिनांक 13 मई 2019

सं. एफ. 10-6/2016-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 21.10.2008 की अधिसूचना सं. 9-3/2007-यू.3 (ए) के जरिए मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा, जिसमें कैरियर इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट शामिल है, को पांच वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए समविश्वविद्यालय घोषित किया था। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार ने दिनांक 11 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 9-3/2007-यू-3 (ए) के माध्यम से 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय' फरीदाबाद, हरियाणा का नाम परिवर्तित करके 'मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्यन संस्थान' कर दिया था।

3. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी के परामर्श पर मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा के समविश्वविद्यालय के दर्जे को कतिपय शर्तों के साथ 21.10.2013 से आगे बढ़ा दिया था।

4. और जबकि, समविश्वविद्यालय ने मानव रचना डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के लिए दिनांक 30.08.2016 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 को ध्यान में रखते हुए इस आवेदन की समीक्षा करने और परामर्श देने हेतु इस आवेदन को यूजीसी को अग्रेषित किया गया था।

5. और जबकि, यूजीसी ने अपनी विशेषज्ञ समिति जिसमें भारतीय डेंटल कॉलेज का नामिति शामिल था, की सहायता से आवेदन की जांच की। समिति ने सर्वसम्मति से मानव रचना डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समावेशन की अनुशंसा की थी। आयोग ने दिनांक 14.11.2018 को हुई 536वीं बैठक में अपनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और इसे अनुमोदित किया था।

6. और इसके अतिरिक्ति जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 4 अप्रैल, 2019 के पत्र सं. 22-1/2017 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया है कि मानव रचना डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद की समग्र चल और अचल सम्पत्तियों और देयताओं को मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा के नाम पर अंतरित कर दिया गया है।

7. और जबकि, आदर्श आचार संहिता लागू होने को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग को उसकी सहमति/अनुमोदन हेतु भेजा गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अपनी एनओसी प्रदान की थी :

I. इस संबंध में इलैक्ट्रोनिक, प्रिन्ट, रेडियो, इंटरनेट अथवा किसी अन्य मीडिया में, किसी भी रूप में चाहे जो भी हो, किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा।

II. कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक भाषण अथवा प्रेस या जनता को सम्प्रेषण के दौरान इस संदर्भ का उपयोग नहीं करेगा।

III. प्रचार संबंधी ये प्रतिबंध, केन्द्र सरकार के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार पर भी लागू होंगे।

IV. आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संबंधित प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

8. इसलिए अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यूजीसी के परामर्श पर मानव रचना डेंटल कॉलेज को उसके संबंधन विश्व विद्यालय अर्थात पं. बी. डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा के साथ संबंधन समाप्त होने की तारीख से मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्ययन संस्थान (समविश्वविद्यालय), फरीदाबाद, हरियाणा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समावेशन हेतु एतद् द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान करती है।

9. उपर्युक्त पैरा 8 में दी गई अनुमति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अघ्यधीन होगी :

I. सम विश्वविद्यालय संस्थान केवल मानव रचना डेंटल कॉलेज को उसके संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात पं. बी. डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा के साथ संबंधन समाप्त होने के पश्चात संस्थान में नामांकित होने वाले छात्रों को ही डिग्री प्रदान करेगा। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं अध्यन संस्थान फरीदाबाद, हरियाणा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समावेशन से पूर्व मानव रचना डेंटल कॉलेज में नामांकित छात्र अपनी डिग्रियां संबंधन विश्वविद्यालय से प्राप्त करेंगे।

II. सम विश्वविद्यालय द्वारा इस मंत्रालय की अधिसूचनाओं में निर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का पालन किया जाएगा।

III. मानव रचना डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद के समग्र कार्यप्रदर्शन की आयोग द्वारा छः वर्षों में द्विवार्षिक रूप से और बाद में मौजूदा विनियमों के अनुसार निगरानी की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार से संबंधित उसके निर्देश घटक संस्था के लिए बाध्यकारी होंगे।

IV. समवत विश्वविद्यालय संस्था/अथवा अपने घटक संस्थाओं, की यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना आस्तियों अथवा निधियों/राजस्व का विपथन नहीं होगा।

V. मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ-साथ इसकी घटक संस्थाएं किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी जोकि अपनी प्रकृति में व्यावसायिक और लाभार्जन प्रकृति की हों।

VI. समवत विश्वविद्यालय की संविधिक संस्थाओं में प्रदान करने/प्रदान किये जाने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबधित संविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप होंगे।

VII. समवत संस्था अपने सभी घटक यूनिटों में अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ-साथ डॉक्टोरल और नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु समुचित उपाय करेगी।

VIII. मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी)/राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए), जैसा भी मामला हो, द्वारा वैध प्रत्यायन हेतु प्रत्यायित अपने घटक संस्थाओं

के सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु, यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) अधिनियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, अपेक्षित उपाय करेगा।

IX. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश-क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में अनुमोदन का नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता का संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करना आदि से संबंधित यूजीसी और अन्य संविधिक परिषदों के निर्धारित मानदंडो और प्रक्रियाओं को जारी रखा जाएगा और मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा और इसकी घटक संस्थाओं द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

X. जहाँ कहीं आवश्यक हो, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा समय-समय यथासंशोधित यूजीसी (समवत संस्थाएं) अधिनियम, 2016, के अनुसार अपने संगम ज्ञापन / नियमों को अद्यतन, संशोधित या परिवर्तित कर सकता है।

XI. मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और अध्ययन संस्थान, फरीदाबाद, हरियाणा यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) अधिनियम, 2019 में शामिल यूजीसी के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2019

No. 93-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the under mentioned officer:—

Inspector General Paramesh Sivamani, Tatrakshak Medal (0244-D)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

P PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 94-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant (Junior Grade) Maddali Venkata Naga Abhishek Rao(0647-S).

CITATION

Commandant (Junior Grade) Maddali Venkata Naga Abhishek Rao (0647-S) joined Indian Coast Guard(ICG) on 27 June 2005.

2. Commandant (JG) MVN Abhishek Rao (0647-S), a qualified Chetak helicopter pilot, is presently appointed as Flight Commander, Kochi Chetak Flight with 1200 hrs of accident free flying to his credit. The officer has exhibited extraordinary professionalism, selfless leadership and courage during the recent Kerala Flood Relief Operations.

3. The officer was deeply engaged in the Kerala flood relief operation code name 'Operation Rahat' which was conducted from 16-22 August 2018. During the operation he flew a total of 18:40 hours under excruciating weather and terrain. As Captain of the aircraft, he saved 20 stranded people from marooned areas, inaccessible to the ground teams. Each rescue mission was fraught with danger as they were undertaken in marginal weather from areas heavily infested with tall Palm trees, high rise buildings, high tension wires and mobile towers. Sustained flying in such conditions required selflessness, courage and absolute devotion to duty besides high caliber flying skills. The officer disregarded personal safety to rescue desperate people who were marooned and on the verge of giving up all hopes of survival.

4. He also successfully carried out aerial supply of relief materials to various rescue shelters and dropped food over rooftops of the houses where people were stranded. The immense contribution by the officer displaying an indomitable spirit with tireless and skillful efforts in the relief operations is highly praiseworthy.

5. Commandant (Junior Grade) Maddali Venkata Naga Abhishek Rao (0647-S) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry) award.

P PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 95-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Pinku Rana, Adhikari(Radio), 04783-W.

CITATION

Pinku Rana, Adhikari (Radio), 04783-W joined Indian Coast Guard on 29 July 2002.

2. Pinku Rana was the Subordinate Officer (SO)-in-Charge of CG Rescue Team-17 during the Kerala floods and undertook rescue/relief from 16-20 August 2018.

3. On 16 August 2018 at about 1500 hrs while moving to Kadungallur to undertake rescue operation, the Gemini boat Out Board Motor became defective. Due to the heavy current, manoeuvring the boat using oars was impossible. Sensing the grave situation, Pinku Rana fearlessly jumped into 15 feet deep fiercely gushing water and tied boat rope to partially submerged structures. Thereafter, he pulled the gemini to the location of 36 stranded old women and children while himself valiantly swam in water for 1.5 kms. Repeating the method, he courageously brought all of the stranded people to safety in multiple trips, throughout himself being in the dangerously flowing water.

4. On 17 August 2018, his gutsy initiative and perseverance resulted in rescue of 56 stranded persons from Moothakunnam. Again on 18 August 2018 at about 1430 hrs, he got information about several people being stranded at Muziris auditorium, Paroor. Pinku Rana tirelessly made numerous trips and saved 84 stranded people. Post completion,

information was received regarding a serious bed ridden disabled patient needing urgent evacuation from a flooded government hospital. The SO heroically waded through chest deep water, innovatively fabricated a floating stretcher and safely evacuated the patient to the Gemini and subsequently to an ambulance.

5. For his persistent acts of bravery alongwith exceptional organizing and leadership skills throughout the entire operations and saving 176 precious lives, the SO deserves recognition.

6. Pinku Rana, Adhikari (Radio), 04783-W has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry) award.

P PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 96-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Ankit Kumar, Pradhan Navik (Quarter Armor), 06173-L.

CITATION

Ankit Kumar, Pradhan Navik (Quarter Armor), 06173-L joined Indian Coast Guard on 28 July 2008.

2. On 15 August 2018 at about 1500 hours, ship was directed by Coast Guard District Headquarters No.4 (CGDHQ-4), Kochi to form a rescue team for flood relief operations in Kerala. Ankit Kumar volunteered to be part of the team alongwith other 10 personnel. The team was deployed in Chengannur, the most affected area during the flood. The EP's team was tasked to evacuate personnel near BSNL area where more than 50 persons were stranded in their houses. The task was made more daunting due to the violent current resulting from the overflowing Pamba River. Also, with no terrain intelligence, knowledge of the obstructions and zero visibility in the murky water, the task of reaching the stranded persons posed fatal risk of the highest order. Realising the gravity of situation, he volunteered to swim across the flooded area with absolute disregard to personal safety.

3. The EP swam three hundred meters with one end of 20MM rope and tied it on an electric pole near the flooded houses. The operations lasted for more than two hours where EP tirelessly carried many elderly persons and young children on his back to safety of life raft. Though exhausted, he never paused the rescue efforts and stayed on till the last person was saved. His exceptional courage under demanding situation and unfaltering belief in mission resulted in his team rescuing more than 50 persons despite extreme weather conditions and danger from uncharted, unknown submerged obstructions.

4. The valorous courage, selfless commitment and unfaltering resolve of purpose demonstrated by the EP resulted in saving lives of more than 50 persons. The bravery and commitment to task displayed by him with complete disregard to personal safety is of the highest standards.

5. Ankit Kumar, Pradhan Navik (Quarter Armor), 06173-L has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrkshak Medal (Gallantry) award.

P PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

No. 97-Pres/2019—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2019 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:-

(i) Deputy Inspector General Homesh Kumar Sharma (5017-C)

(ii) Commandant Bhim Singh Kothari (0331-C)

(iii) Commandant Chaturvedula Vivekananda (0388-E)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

P PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 1st May 2019

No. F.9-49/2001-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-49/2001-U.3 dated the 16th February, 2004, on the advice of UGC, had declared Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, Odisha as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee. Taking into consideration the advice of UGC on the report of its Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-49/2001-U3(A)Pt.1 dated 31st March, 2017, extended the deemed to be University status of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha from 16.02.2009 to 15.02.2014 with certain conditions. And further whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, further extended the deemed to be University status of Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha from 16.02.2014 to 15.02.2019, vide Notification No. 9-49/2001-U3(A)Pt.1 dated 17th May, 2017, with the conditions that the Institution shall rectify the suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee and shall amend its MoA / Rules as per the existing UGC Regulations.

4. And further whereas, UGC, after examining the compliance report of the Institution, informed that the Institution has partially complied with the conditions of this Ministry's Notification dated 17th May, 2017.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby extends the deemed to be University status of Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Bhubaneswar, Odisha from 16.02.2019 to 30.06.2020 with the following conditions:

i. The Institution will comply with the conditions of the Notification and submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, Odisha.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-2/2002-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-2/2002-U.3 dated 20.10.2006, on the advice of UGC, had declared Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years.

3. And further whereas, the functioning of Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 28-29th April, 2018. Taking into consideration the advice of UGC on the report of its Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-2/2002-U.3(Pt.1) dated 29th October, 2018, extended the deemed to be University status to Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu from 20.10.2011 to 30.06.2019 with the following conditions:

i. The deemed to be University shall henceforth not admit students in Agriculture, Horticulture & Education Courses without the approval of UGC.

ii. The deemed to be University shall create a separate and exclusive Society / Trust/Company clearly mentioning in its registered deed that the said Society / Trust/Company is formed exclusively for the Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu.

iii. The deemed to be University shall separate its audit report from the Sponsoring Trust.

iv. All the assets shall be in the name of deemed to be University.

v. The deemed to be University shall amend its MoA/Rules in accordance with the existing UGC Regulations.

vi. The deemed to be University shall submit compliance report w.r.t. suggestions/deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

6. Now, therefore, taking into consideration the compliance report of the Institution and the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Kalasalingam Academy of Research & Education, Krishnankoil, Tamil Nadu.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-9/2003-U3(A)Vol.2—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-9/2003-U3 dated 28.05.2008, on the advice of UGC, had declared Jagadguru Sri Shivarathreeswara University (JSSU), Mysore, Karnataka consisting of (i) J.S.S. Medical College, Mysore; (ii) J.S.S. Dental College, Mysore; (iii) J.S.S. College of Pharmacy, Mysore; and J.S.S. College of Pharmacy, Ooty (Tamil Nadu) as deemed to be University, provisionally for a period of five years. J.S.S. College of Pharmacy, Ooty was allowed to function as an Off-Campus Centre of the JSSU.

3. And further whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017, the Central Government, vide Notification No.9-9/2003-U3(A) dated 11th January, 2018, changed the name of Jagadguru Sri Shivarathreeswara University (JSSU), Mysore, Karnataka to "JSS Academy of Higher Education & Research" with condition that JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka shall not use the word 'University' suffixed to its name but can mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of the Deemed to be University was reviewed by UGC with the help of its Expert Committee during 5-7th July, 2017. Taking into consideration the advice of UGC as well as review report of its Expert Committee, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, extended the deemed to be University status to "JSS Academy of Higher Education & Research", Mysore, Karnataka from 28.05.2013 to 27.05.2019 subject to the following conditions:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall carry out other necessary changes as essential after change of name in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

6. And whereas, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka from 28.05.2019 to 15.08.2023 with the condition that the Institution shall improve its performance and academic academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by JSS Academy of Higher Education & Research, Mysore, Karnataka.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-19/2005-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-19/2005-U.3 dated 21.08.2007, on the advice of UGC, had declared Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

3. And whereas, the functioning of Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 31st January to 2nd February, 2018. Taking into consideration the review report and advice of UGC thereon, the Central Government, vide Notification No.9-19/2005-U.3(Pt.1) dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status to Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu from 21.08.2012 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee and shall improve its performance through its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

4. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status to Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in NIRF / NAAC.

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Academy of Maritime Education & Training, Kanathur, Tamil Nadu.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-48/2006-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-48/2006-U3(A) dated 04.08.2008, on the advice of UGC, had declared Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Padur, Kelambakkam, Kancheepuram District, Tamil Nadu, comprising (i) Chettinad Hospital and Research lnstitute, Padur, Kelambakkam and (ii) Chettinad College of Nursing, Padur, Kelambakkam, as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th January, 2018. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-48/2006-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status to Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu from 04.08.2013 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee as well as MHRD Review Committee.

4. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chettinad Academy of Research and Education, Padur, Tamil Nadu.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-34/2007-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-34/2007-U3(A) dated 22.07.2008, on the advice of UGC, had declared Christ College (Autonomous), Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Christ University' for the provisional period of five years.

3. And further whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, vide its Notification No. 9-34/2007-U3(A) dated 11.01.2018, changed the name of "Christ University" to "Christ" by deleting the word 'University' from its name with the condition that the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of Christ, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 14-16th December, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-34/2007-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of 'Christ', Bangalore, Karnataka from 22.07.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Christ.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

v. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Rankings Framework (NIRF).

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of 'Christ', Bangalore, Karnataka from 30.06.2019 to 01.12.2021 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in NIRF/ NAAC.

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by 'Christ', Bangalore, Karnataka.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-37/2007-U3(A)Vol.2—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 29.02.2008, on the advice of UGC, had declared Shri B. M. Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Bijapur, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'BLDE University' for the provisional period of five years.

3. And whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, vide its Notification No.9-37/2007-U3(A) dated 11.01.2018, changed the name of "BLDE University" to "BLDE" by deleting the word 'University' from its name with the condition that BLDE shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of BLDE, Bijapur, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 22-24th September, 2017. Taking into consideration the review report of UGC Expert Committee and the

advice of UGC, the Central Government, vide Notification No. 9-37/2007-U3(A)Vol.2 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of 'BLDE', Bijapur, Karnataka from 29.02.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. BLDE.

ii. The Institution deemed to be University shall incorporate the new name in all Letter Heads, website and all its further correspondences.

iii. The Institution deemed to be University shall incorporate new name in its MoA / Rules.

iv. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

v. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC on the compliance report of the Institution, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status to 'BLDE', Bijapur, Karnataka from 01.07.2019 to 15.11.2020 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in NIRF/ NAAC.

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by 'BLDE', Bijapur, Karnataka.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-6/2008-U3(A)Vol.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-6/2008-U3(A) dated 02.02.2009, on the advice of UGC, had declared the International College of Girls located at Gurukul Marg, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan, as an "Institution Deemed to be University", in the name and style of 'IIS University', for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years.

3. And whereas, the functioning of IIS University, Jaipur, Rajasthan was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee. Further, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-6/2008-U3(A)Vol.1 dated 6th July, 2017, extended / regularized the deemed to be University status of IIS University, Jaipur, Rajasthan from 02.02.2014 to 01.02.2019 in the name of 'IIS' by deleting the word 'University' from its name. This declaration was further subject to the following conditions:

i. The Institution Deemed to be University shall change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. IIS (Deemed to be University), Jaipur, Rajasthan.

ii. The Institution Deemed to be University shall rectify all the deficiencies pointed out and suggestions given by the UGC Expert Committee and shall submit compliance report along with documentary proof to UGC within a period of 6 months.

iii. The status of Deemed to be University shall be further extended, on the advice of UGC and also after fulfillment of the above conditions.

4. And further whereas, UGC, after examining the compliance report of the Institution, informed that the Institution has partially complied with the conditions of this Ministry's Notification dated 6th July, 2017.

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of IIS, Jaipur, Rajasthan from 02.02.2019 to 30.06.2020 with the condition that it shall comply with the conditions of the Notifications and will submit compliance report within three months from issuance of this Notification. This extension / regularization is further subject to the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by IIS, Jaipur, Rajasthan.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-46/2008-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-46/2008-U3(A) dated 10.07.2009, on the advice of UGC, had declared Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi as an Institution deemed to be University for the purpose of the aforesaid act, for a provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of ILBS, New Delhi was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 15-16th October, 2018. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 539th meeting held on 26.02.2019. The Commission considered the report and the following resolution forwarded to this Ministry:

> "The Commission considered the report of the UGC Expert Committee and resolved to recommend to MHRD for continuation of status of Deemed to be University to Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi. The suggestions of the visiting Expert Committee, if any, will be addressed by the Deemed to be University within a period of 6 months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC".

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend / regularize the deemed to be University status to Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi from 10.07.2014 onwards with the condition that the Institute shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Institute of Liver & Biliary Sciences (ILBS), New Delhi.

ISHITA ROY
Joint Secretary

The 6th May 2019

No. F.9-19/2000-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-19/2000-U.3 dated 13.04.2006, on the advice of UGC, had declared KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka, comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum and (ii) KLE BK Institute of Dental Sciences, Belgaum, as an institution deemed to be University, for a period of five years.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, following institutions were brought under ambit of KLE Academy of Higher Education and Research, Belgaum, by the Central Government vide Notification No.9-19/2000-U.3 dated 20.02.2009 subject to the conditions that all the terms & conditions of conferment of deemed to be university status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum shall remain unchanged:

i. KLE Institute of Nursing Sciences, Belgaum;

ii. KLE Institute of Physiotherapy, Belgaum;

iii. KLE Shri B.M.K. Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum;

iv. KLE College of Pharmacy, Belgaum;

v. KLE College of Pharmacy, Hubli;

vi. KLE College of Pharmacy, Bangalore.

4. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-19/2000-U3(A)Pt.1 dated 17.01.2017, on the advice of UGC, extended the status of deemed to be university to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum from 13.04.2011 to 12.04.2016. Further, the Central Government, vide Notification No. 9-19/2000-U3(A)Pt.1 dated 02.07.2018, on the advice of UGC, extended the status of deemed to be university to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum from 13.04.2016 to 12.04.2019 with the following conditions:

i. The Institution shall create a separate & exclusive not-for-profit Society / Trust / Company for managing the deemed to be university.

ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

5. Now, therefore, taking into consideration the compliance report of the Institution and the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka from 13.04.2019 to 18.01.2021 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-21/2000-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-21/2000-U.3 dated 20.06.2002, on the advice of UGC, had declared Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai consisting of (a) Padmashree Dr. D. Y. Patil Medical College; and (b) Padmashree Dr. D. Y. Patil Dental College & Hospital as an Institution deemed to be University subject to review after five years.

3. And whereas, the functioning of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 11-13th August, 2017. The report of the Expert Committee was approved by the Commission in its 525th meeting held on 04.09.2017. Taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, extended the deemed to be University status of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai from 20.06.2007 to 30.06.2019 subject to the condition that the Sponsoring Society shall legally transfer the entire moveable and immoveable assets in the name of the deemed to be University. This declaration was further subject to the condition that the Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Ranking Framework (NIRF) and it will submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

4. And further whereas, UGC informed that the Institution deemed to be University did not submit compliance report in respect of the above mentioned conditions.

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the following condition:

iii. The Institution will comply with the conditions of the Notification and will submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

iv. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Nerul, Navi Mumbai.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-64/2005-U.3(Vol.2)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-64/2005-U.3 dated 15.12.2006, on the advice of UGC, had declared Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University under de-novo category, for the provisional period of five years, with effect from the date of disaffiliation of the Institute from its affiliating University.

3. And whereas, the functioning of Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 26-27th October, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-64/2005-U.3(Vol.2) dated 8th June, 2018, extended / regularized the deemed to be University status to Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu from 15.12.2011 to 30.06.2019 with the condition that the Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee and shall amend its MoA & Governance Structure as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

4. And further whereas, UGC, after examining the compliance report of the Institution, informed that the Institution has partially complied with the conditions of this Ministry's Notification dated 8th June, 2018.

5. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the condition that it shall comply with the above mentioned conditions within three months from issuance of this Notification. This extension / regularization is further subject to the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Chennai Mathematical Institute, Chennai, Tamil Nadu.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-42/2006-U3(A)Vol.2—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-42/2006-U3(A) dated 20.02.2009, on the advice of UGC, had declared Koneru Lakshmaiah Education Foundation Vijayawada, Andhra Pradesh as an Institution Deemed to be University, provisionally for a period of five years, with certain conditions.

3. And whereas, the functioning of Koneru Lakshmaiah Education Foundation Vijayawada, Andhra Pradesh was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee. Based on the advice of UGC, the Central Government, vide Notification No. 9-42/2006-U3(A)Vol.2 dated 11th July, 2017, extended the deemed to be University status of Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh from 20.02.2014 to 19.02.2019 with the following conditions:

i. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall replace the word 'University' with "Deemed to be University" wherever it is being used and make other necessary amendments, whatever required, as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

ii. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall rectify all the deficiencies pointed out and suggestions given by the UGC Expert Committee and shall submit compliance report along with documentary proof to UGC within a period of 6 months.

iii. Koneru Lakshmaiah Education Foundation shall admit students to the approved academic courses / programmes of Koneru Lakshmaiah College of Engineering, under its ambit or any other Courses which are approved by Statutory Council(s) concerned and UGC, wherever required. It shall not admit students in B. Pharm, BFA and BBA-LLB courses and other such courses without approval of the UGC and Statutory Councils concerned.

iv. The status of Deemed to be University shall be further extended, on the advice of UGC and also after fulfillment of the above conditions.

4. And further whereas, in exercise of the powers conferred by section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.10-3/2017-U3(A) dated 19th January, 2018, on the advice of the UGC, permitted Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh for starting of an Off-Campus centre at Aziznagar, Moinabod Road, Rangareddy district, Telangana.

5. Now, therefore, taking into consideration the compliance report of the Institution and the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh from 20.02.2019 to 19.02.2024 with the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Vijayawada, Andhra Pradesh.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-57/2007-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 19.12.2008, on the advice of UGC, had declared Sri Bhagawan Mahaveer Jain College, Bangalore, Karnataka as an Institution deemed to be University in the name & style of 'Jain University' for the provisional period of five years. And further whereas, the following Institutions were brought under the ambit of Jain University, Karnataka vide this Ministry's Notification No. 9-57/2007-U3(A) dated 24.07.2009:

i. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (School of Graduate Studies), 34 First Cross KC Road, Bangalore

ii. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for Management Studies), 1/1 Atria Tower, Palace Road, Bangalore

iii. Sri Bhagwan Mahavir Jain College (Centre for PG Studies), 18/3, 9th Main, 3 rd Block, Jayanagar, Bangalore

iv. Sri Bhagwan Mahavir Jain College of Engineering, Jakkasandra Post, Kanakpura Talur, Bangalore Rural

3. And whereas, pursuant to the Order dated 03.11.2017 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017, the Central Government, vide Notification No.9-57/2007-U3(A) dated 11.01.2018, changed the name of "Jain University" to "Jain" by deleting the word 'University' from its name with the condition that the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

4. And whereas, the functioning of Jain, Bangalore, Karnataka was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 21-23rd December, 2017. Taking into consideration the review report of UGC Expert Committee and the advice of UGC, the Central Government, vide Notification No. 9-57/2007-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of Jain, Bangalore, Karnataka from 19.12.2013 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The deemed to be University shall amend its MoA/Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ii. The deemed to be University shall not use the word 'University' with its name but it may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

iii. The deemed to be University will change the name of its Society, Land title, Accounts, Corpus Fund, etc. in the new name i.e. Jain.

iv. The deemed to be University shall participate in the National Institutional Ranking Framework (NIRF) and shall display its rankings on its website.

v. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

5. And further whereas, UGC informed that the Institution deemed to be University did not submit compliance report in respect of the above mentioned conditions.

6. Now, therefore, taking into consideration the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Jain, Bangalore, Karnataka from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the following condition:

i. The Institution will comply with the conditions of the Notification and submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

ii. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

iii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by 'Jain', Bangalore, Karnataka.

ISHITA ROY
Joint Secretary

The 9th May 2019

No. F.9-9/98-U.3(Pt.1)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-9/98-U.3 dated 02.08.2002, on the advice of UGC, had declared S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai comprising S.R.M. Dental College, Chennai, as an Institution deemed to be University, for the purpose of the aforesaid Act.

3. And further whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government permitted S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai to bring the following Institutions under its ambit subject to review after three years:

i. S.R.M. Engineering College, Kattankulathur, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-8/98-U.3 dated 13th March, 2003;

ii. S.R.M. Medical College Hospital and Research Centre, Kattankulathur, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-27/2004-U.3 dated 30th September, 2004;

iii. S.R.M. College of Pharmacy, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005;

iv. S.R.M. College of Nursing, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005;

v. S.R.M. College of Physiotherapy, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005;

vi. S.R.M. College of Occupational Therapy, Chennai, Tamil Nadu, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005; and

vii. S.R.M. Institute of Management & Technology, Modinagar, Distt. Meerut, Uttar Pradesh, vide Notification No.9-47/2004-U.3 dated 28th January, 2005.

4. And whereas, the functioning of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai as well as all its constituent units was reviewed by the UGC. Taking into consideration the advice of UGC and in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-9/1998-U.3 dated 16th October, 2008, accorded approval to the continuation of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai as a deemed to be University, for a further period of five years i.e. upto 15.10.2013.

5. And whereas, the functioning of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai and all its constituent units/institutions was again reviewed by the UGC with the help of Expert Committee in the year 2017. The report of the Expert Committee was considered and approved by the Commission.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status of S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai from 16.10.2013 to 15.08.2023 with the condition that the Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by S.R.M. Institute of Science & Technology, Chennai, Tamil Nadu.

ISHITA ROY
Joint Secretary

The 10th May 2019

No. F.9-3/2000-U.3(Vol.2)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-3/2000-U.3 dated 23.06.2004, on the advice of UGC, had declared Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University, for a provisional period of three years.

3. And further whereas, the functioning of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 9-11th November, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the report of UGC Expert Committee, the Central Government, vide Notification No. 9-3/2000-U.3(Vol.2) dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu from 23.06.2007 to 30.06.2019 with the following conditions:

i. A separate & exclusive Society / Trust / Company in the name of the deemed to be University will be formed.

ii. The moveable & immoveable assets shall be legally registered in the name of the deemed to be University.

iii. The deemed to be University shall improve its performance through its NAAC grading.

iv. The deemed to be University shall align its MoA / Rules as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

v. The deemed to be University shall not start any Courses / Departments, Off-Campus Centres in contrary to the norms / regulations of the UGC.

vi. The Institution will submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee within stipulated time period.

4. Now, therefore, taking into consideration the compliance report of the Institution and the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu from 01.07.2019 to 24.05.2021 with the following condition:

i. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

ii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Karunya Institute of Technology & Sciences, Coimbatore, Tamil Nadu.

ISHITA ROY
Joint Secretary

No. F.9-21/2005-U3(A)Pt.1—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-21/2005-U3(A) dated 30.08.2006, on the advice of UGC, had declared MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai consisting of two constituent medical colleges i.e. (i) Mahatma Gandhi Mission's Medical College, Navi Mumbai (Maharashtra) and (ii) Mahatma Gandhi Mission's Medical College. Aurangabad (Maharashtra) as an Institution deemed to be University for a provisional period of five years.

3. And whereas, the functioning of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra was reviewed by the UGC with the help of its Expert Committee during 27-29th September, 2017. Taking into consideration the advice of UGC on the review report of its Expert Committee, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-21/2005-U3(A)Pt.1 dated 8th June, 2018, extended the deemed to be University status of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra from 30.08.2011 to 30.06.2019 with the following condition:

i. The Sponsoring Trust shall legally transfer the entire moveable and immoveable assets in the name of the deemed to be University.

ii. The Institution deemed to be University shall improve its performance through its ranking in National Institutional Ranking Framework (NIRF).

iii. The Institution shall submit compliance report in respect of the suggestions given by the UGC Expert Committee.

4. And further whereas, UGC, after examining the compliance report of the Institution, informed that the Institution has partially complied with the conditions of this Ministry's Notification dated 8th June, 2018.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby extends the deemed to be University status of MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra from 01.07.2019 to 30.06.2020 with the following conditions:

i. The Institution will comply with the conditions of the Notification(s) and will submit compliance report within three months from the issuance of this Notification.

ii. The Institution deemed to be University shall improve its ranking / grading in National Institutional Rankings Framework (NIRF) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

iii. The Institution shall improve its performance and academic outcomes on the parameters mentioned in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

6. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by MGM Institute of Health Sciences, Navi Mumbai, Maharashtra.

ISHITA ROY
Joint Secretary

The 13th May 2019

No. F.10-6/2016-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 21.10.2008, on the advice of UGC, had declared Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana consisting of Career Institute of Technology & Management as an Institution deemed to be University, for a provisional period of five years. Further, as per direction of Hon'ble Supreme Court, the Central Government changed the name of "Manav Rachna International University", Faridabad, Haryana to "Manav Rachna International Institute of Research & Studies", vide Notification No.9-3/2007-U3(A) dated 11th January, 2018.

3. And whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, extended the deemed to be University status to Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana from 21.10.2013 onwards with certain conditions.

4. And whereas, the Deemed to be University submitted an application on 30.08.2016 for inclusion of Manav Rachna Dental College, Faridabad under its ambit. The application was forwarded to UGC for examination and advice in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

5. And whereas, UGC examined the application with the help of its Expert Committee consisting of a nominee of Dental Council of India. The Committee unanimously recommended inclusion of Manav Rachna Dental College, Faridabad under the ambit of Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana. The Commission considered and approved the report of its Expert Committee in 536th meeting held on 14.11.2018.

6. And further whereas, UGC, vide its letter No.22-1/2017 (CPP-I/DU) dated 4th April, 2019 has informed that the entire moveable, immoveable assets and liabilities of Manav Rachna Dental College, Faridabad has been transferred in the name of Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana.

7. And whereas, taking into consideration the enforcement of Model Code of Conduct, the matter was referred to the Election Commission of India (ECI) for their concurrence /approval. Election Commission of India conveyed its NOC subject to the following conditions:

i. Absolutely no publicity in this regard in electronic, print, radio, internet or any other media, in any form whatsoever.

ii. No political functionary shall make any reference in this regard during any public speech or communication to the press or public.

iii. These restrictions on publicity will be applicable to the Central Government as well as the State Governments concerned.

iv. The relevant provisions of Model Code of Conduct issued by the Commission shall be strictly followed.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby accord its approval for inclusion of Manav Rachna Dental College, Faridabad under the ambit of Manav Rachna International Institute of Research & Studies (Deemed to be University), Faridabad, Haryana as

Constituent Institutions with effect from the date of disaffiliation from its affiliating University i.e. Pt. B. D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana.

9. The permission given in Para 8 above is further subject to the following conditions:

i. The Institution deemed to be University shall award degrees only to the students enrolled in the institution after the disaffiliation of Manav Rachna Dental College, Faridabad from its affiliating university i.e. Pt. B. D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana. The students enrolled in Manav Rachna Dental College, Faridabad prior to its inclusion under the ambit of the Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall receive their degrees from the affiliating University.

ii. All the earlier conditions that were stipulated in this Ministry's Notifications shall be adhered to by the Deemed to be University.

iii. The over-all performance of Manav Rachna Dental College, Faridabad shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently as per the provisions of the existing Regulations and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Constituent Institution.

iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution Deemed-to-be-University/or of its Constituent Institutions, without prior permission of the UGC.

v. Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana as well as its Constituent Institutions shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

vi. The academic programmes offered/to be offered at the Constituent Institutions of the Deemed to be University shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and other Statutory Councils concerned.

vii. The Institution Deemed to be University shall take appropriate steps to commence research programmes as well as doctoral and innovative academic programmes at all its constituent units.

viii. Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes of its Constituent Institutions accredited for valid accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC)/ National Board of Accreditation (NBA), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

ix. All the prescribed norms and procedures of the UGC and other Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana and its Constituent Institutions.

x. As and when necessary, Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall update or revise or modify its Memorandum of Association (MoA) / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, as amended from time to time.

xi. Manav Rachna International Institute of Research & Studies, Faridabad, Haryana shall adhere to the instructions of the UGC as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

ISHITA ROY
Joint Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2019.06.15 11:07:16 +05'30'